E-Mail ID- constructionunitusn@gmail.com
फैक्स एवं दूरभाष स0– 05944–250187

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

G-26 कलैक्ट्रेट परिसर (मण्डी निदेशालय के सामने), रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर), पिन– 263153

पत्रांक 1899 / उच्च शिक्षा निगम / 53 दि0 03./12./ 2019

सेवा में,

प्राचार्य,
राजकीय डिग्री कॉलेज,
किच्छा (ऊधम सिंह नगर)।

विषय :– **राजकीय मॉडल महाविद्यालय, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) के भवन का निर्माण कार्य के एम0ओ0यू0 उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

शासनादेश सं0 1087 (1)/ XXIV (7) / 2019-38 (2) 18 date. 06-11-2019 के सन्दर्भ में राजकीय मॉडल महाविद्यालय, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) के भवन निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि को इस इकाई के खाता सं0 0833000101160034 में जिसका पूर्ण विवरण निम्नानुसार है, में स्थानान्तरित करने का कष्ट करे। उक्त योजना का एम0ओ0यू0 तैयार कर तीन प्रतियों में आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1. कार्यदायी संस्था का नाम– निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, ऊधम सिंह नगर।
2. परियोजना का नाम– राजकीय मॉडल महाविद्यालय, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) के भवन का निर्माण कार्य।
3. बैक खाता संख्या– 0833000101160034
4. बैंक का आई0 एफ0 सी0 कोड– PUNB0083300
5. बैंक का नाम एवं पता – पंजाब नैशनल बैंक रूद्रपुर।
6. पेन नं0 – AAALU0118M
7. टीन नं0– 05006811559
8. टेन नं0– MRTP01907D
9. जी0एस0टी0 न0– 05AAALU0118MHZL
10. परियोजना प्रबन्धक का नाम– ओम प्रकाश
11. मोबाइल नं0 – 9837475950
12. कार्यालय की ई–मेल आई.डी. – constructionunitusn@gmail.com
13. मुख्यालय की ई–मेल आई.डी. – upsvnn@gmail.com

संलग्नक– एम0ओ0यू0 तीन प्रतियों में।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
परियोजना प्रबन्धक

Stamp Vendor L.N. 15
Rudrapur, U.S.Nagar

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK48867272226983R
Certificate Issued Date	:	21-Nov-2019 01:02 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1246604/ RUDRAPUR/ UK-UN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK124660400211184415788R
Purchased by	:	P M CONSTRUCTION UNIT UK PAYYAL NIGAM RUDRAPUR
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	P M CONSTRUCTION UNIT UK PAYYAL NIGAM RUDRAPUR
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	P M CONSTRUCTION UNIT UK PAYYAL NIGAM RUDRAPUR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

..........Please write or type below this line..........

समझौता ज्ञापन

राजकीय मॉडल महाविद्यालय, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) के भवन निर्माण कार्य हेतु यह समझौता ज्ञापन प्राचार्य, राजकीय डिग्री कॉलेज, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) और परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के बीच दिनांक .... को निष्पादित किया गया, जिसके पाँच पृष्ठ सलग्न हैं।

प्राचार्य
राजकीय डिग्री कालेज,
किच्छा (ऊधमसिंह नगर)
Principal
Govt. Degree College
KICHHA (U.S. Nagar) U.K.

परियोजना प्रबन्धक,
निर्माण इकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
ऊधमसिंह नगर।

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

परियोजना का नाम– राजकीय मॉडल महाविद्यालय, किच्छा (ऊधम सिंह नगर) के भवन का निर्माण कार्य।

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में **प्राचार्य, राजकीय डिग्री कॉलेज, किच्छा (ऊधम सिंह नगर)** (ग्राहक / विभाग / संगठन का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतद्पश्चात ''ग्राहक'' कहा गया है) जिसके अन्तर्गत जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती भी सम्मिलित हैं।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रपुर जिला–ऊधमसिंह नगर** (निर्माण एजेन्सी का नाम) के माध्यम से (जिसे यहां एतद्पश्चात ''निर्माण एजेन्सी'' कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक संदर्भ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तरावर्ती तथा समनुदेशिती भी सम्मिलित है, के बीच आज **वर्ष – 2019 के ..... महीने की ..... तारीख** को निष्पादित किया गया है, जबकि ग्राहक के प्रस्ताव पर निर्माण एजेन्सी नीचे अभिलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन निर्माण तथा सम्बन्धित कार्य, जिसे यहां एतद्पश्चात ''परियोजना'' कहा गया है, करने के लिए सहमत हो गई है, जिसकी कुल लागत प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) तथा समस्त अन्य प्रभार सहित) **रू0 1156.41 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ छपन लाख इकतालीस हजार मात्र)** है।

1. यह सहमति हो गई है कि परियोजना की कुल लागत **रू0 1156.41 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ छपन लाख इकतालीस हजार मात्र)** है, जैसा कि शासनादेश **सं0 1087 (1)/ XXIV (7) / 2019-38 (2) 18 date. 06-11-2019** द्वारा जारी प्रशासनिक तथा वित्तीय संस्वीकृति मे निर्दिष्ट है, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक सं0 1 के रूप में इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न है। यह भी सहमति हो गई है कि इस लागत में निर्माण एजेन्सी को देय कुल सेन्टेज प्रभार तथा समस्त अन्य प्रभार सम्मिलित हैं। परियोजना से सम्बन्धित सेन्टेज प्रभार समय–समय पर यथासंशोधित शासनादेश सं0 163 / XXVIII (7) / 2007 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार शासित होंगे। उक्त आदेश की एक प्रति अनुलग्नक सं0 2 के रूप में इस समझौता ज्ञापन के साथ संलग्न है।
2. यह सहमति हो गई है कि प्राकृतिक आपदा के मामलों को छोड़कर परियोजना की प्रगति के विभिन्न चरणों / कार्य पूर्ण किये जाने के लिए निम्नलिखित समयसारणी होगी। विस्तृत संघटकवार समयसारणी / बार चार्ट अनुलग्नक 3 के रूप में यहां संलग्न हैं।

क0 सं0	मद	माह / वर्ष	महिनों की संख्या
1.	परियोजना के प्रारम्भ करने की तारीख	**01 / 2020**	**प्रारम्भ**
2.	25 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।	**03 / 2020**	**03 माह**
3.	50 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।	**08 / 2020**	**05 माह**
4.	75 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।	**12 / 2020**	**04 माह**
5.	100 प्रतिशत तक भौतिक प्रगति की प्राप्ति।	**05 / 2021**	**05 माह**
6.	तैयार / पूर्ण परियोजना का सौंपा जाना	**06 / 2021**	**01 माह**

3. ग्राहक उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समयसारणी के परिप्रेक्ष्य में भौतिक प्रगति तथा पूर्व में मुक्त निधियों / अन्तिम संवितरण की वित्तीय प्रगति के अनुसार निर्माण एजेन्सी को पर्याप्त धन (निधि) का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। निधियों (धन) को मुक्त करने की पूर्व शर्तो के अधीन, जिनका यहां उल्लेख किया गया है, ग्राहक मांग के 30 दिन के अन्दर निधियां मुक्त करना सुनिश्चित करेगा।
4. यदि परियोजना की प्रगति उपरोक्त पैरा 2 में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं होती है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से परियोजना वापिस ले सकता है और किसी अन्य एजेन्सी को आबंटित कर सकता है। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी ग्राहक अथवा ऐसी एजेन्सी जिसके लिए ग्राहक निर्देश दे, परियोजना 'जहाँ है जैसी है' आधार पर निर्मित भाग और निर्माण सामग्री, औजार तथा संयत्र, डिजाइन, रेखाचित्र तथा अन्य समस्त सामग्री / अभिलेख आदि तत्काल शांतिपूर्वक ग्राहक को लौटा देगी, ताकि निर्माण कार्य / परियोजना के कियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। ऐसी स्थिति में निर्माण एजेन्सी किसी प्रतिकर तथा / या दावे के जो भी हो, हकदार नहीं होगी।
5. उपरोक्त पैरा 2,3,4 के प्रयोजन हेतु परियोजना कार्य की निर्माण स्थल पर दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से कम से कम प्रतिमाह समीक्षा की जाएगी और ऐसी समीक्षा का कार्यवृत्त अभिलेख (रिकार्ड) और अग्रेत्तर उपयोग के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगी।
   ऐसे पुनरीक्षण (समीक्षा) की रीति ग्राहक द्वारा विनिश्चित की जाएगी।
6. परियोजना और उसके विभिन्न संघटकों के प्रयोजन हेतु अधिप्राप्ति समय–समय पर लागू उत्तराखण्ड शासन की अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार की जाएगी।

7. निर्माण एजेन्सी सृजित परिसम्पत्तियां आदि को निर्माण स्थल पर सुरक्षित रखने, उनकी सुरक्षा और परिरक्षण के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगी तथा सृजित परिसम्पत्तियों को हुए किसी हानि अथवा क्षति की निर्माण एजेन्सी द्वारा क्षतिपूर्ति करनी होगी।
8. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि परियोजना में अपेक्षित /पर्याप्त भूकम्परोधी तकनीकें, डिजाइन तथा संरचनाएं अपनायी गयी हैं।
9. निर्माण एजेन्सी सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त / अपेक्षित वर्षा जल संचय प्रणालियां शामिल की गयी हैं।
10. निर्माण एजेन्सी अपने प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अधिप्रमाणित परियोजना की मासिक भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देगी। निर्माण एजेन्सी भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट के साथ उसके पास उपलब्ध निधियों तथा प्रतिमाह अर्जित ब्याज का विवरण भी उपलब्ध कराएगी। निर्माण एजेन्सी निर्माण कार्य की प्रगति तथा उसके पास निधि की उपलब्धता के आधार पर कम से कम आगामी चार माह के लिए अपेक्षित मासिक निधि की मांग भी प्रस्तुत करेगी।
11. निर्माण एजेन्सी परियोजना के सम्बन्ध में एक पृथक लेखा / खाता रखेगी तथा परियोजना सौंपने से पहले उसको उपलब्ध करायी गई कुल निधियों, मदवार / कार्यवार व्यय / अर्जित कुल ब्याज तथा परियोजना लेखा के अन्तिम अवशेषों का अधिप्रमाणित विवरण प्रस्तुत करेगी। निर्माण एजेन्सी परियोजना को सौपने से पहले ग्राहक को अर्जित ब्याज सहित कुल शेष धनराशि लौटायेगी।
12. निर्माण एजेन्सी परियोजना की समस्त सामग्री तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी। तद्नुसार निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यात व्यावसायियों / परामर्शदाताओं द्वारा नियतकालिक निरीक्षण सुनिश्चित करेगी तथा इन निरिक्षणों की रिपोर्ट ग्राहक को भी प्रेषित की जाएगी। गुणवत्ता के आश्वासन के लिए निर्माण एजेन्सी उत्तरदायी होते हुए भी ग्राहक अथवा उसके द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी भी समय और समय–समय पर निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा प्रगति की जांच / अनुश्रवण के लिए निर्माण कार्यों की निरीक्षण कर सकेगा, जिसके लिए निर्माण एजेन्सी निरीक्षक दल को अपेक्षित सूचना और सहायता प्रदान करेगी। निर्माण एजेन्सी सदैव विस्तृत आकलन, रेखाचित्र, डिजाइन, जाच रिपोर्ट, गुणवत्ता तथा अनुश्रवण रिपोर्ट, सामग्री रजिस्टर/ टी0 एण्ड पी0/ परियोजना स्थल पर श्रमिक / अभियन्त्रण कर्मचारी आदि का विवरण उपलब्ध करायेगी। यदि निर्माण कार्य के दौरान और परियोजना की समाप्ति के बाद निरीक्षण के दौरान कोई त्रुटि या अन्तर दिखायी दे तो निर्माण एजेन्सी द्वारा उन्हें सुधारना होगा।

निर्माण एजेन्सी गुणवत्ता अनुश्रवकों (मानीटर्स) की अभियुक्तियों / रिपोर्ट को सुधारने के तथा **छः माह (06 माह)** अवधि के अन्दर अनुपालन के लिए भी बाध्यकारी होगी। यदि निर्माण एजेन्सी त्रुटियों / अन्तर को सुधारने में असफल रहती है और / या त्रुटियों की पुनरावृत्ति होती रहती है और त्रुटियां गम्भीर प्रकृति की हैं, तो ग्राहक खण्ड 4 के उपबन्धों के अनुसार कार्य/ परियोजना वापस ले सकता है। यदि निर्माण एजेन्सी द्वारा त्रुटियां सुधारी नहीं जाती और /या कार्य निर्माण एजेन्सी से वापस लिया जाता है तो ग्राहक निर्माण एजेन्सी से समुचित हरजाना वसूल कर सकता है। यदि निर्माण कार्य के दौरान अथवा निर्माण कार्य की समाप्ति के पश्चात गंभीर त्रुटियां ग्राहक विभाग के संज्ञान में आती हैं तो निर्माण एजेन्सी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर मामले की जांच संस्थित करेगी और दो माह के भीतर दोषी अधिकारियों / पदाधिकारियों का उत्तदायित्व नियत करेंगी।

13. त्रुटियों के लिये दायिता अवधि ग्राहक को परियोजना सौंपने की तारीख से 1 वर्ष होगी। निर्माण एजेन्सी ग्राहक द्वारा समय–समय पर सूचित किये जाने वाली त्रुटियां अपने खर्चे पर ग्राहक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर सुधारेगी। ग्राहक निर्माण अवधि के दौरान भी त्रुटियां सूचित कर सकता है, जिसके लिए त्रुटियों को सुधारने की अवधि वह होगी जो ग्राहक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अथवा अन्यथा निर्दिष्ट की जाए।

14. समझौता ज्ञापन में किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी उपरोक्त पैरा 2 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन / निर्माण में विलम्ब की दशा में इस परियोजना पर उपरोक्त दिनांक 22.05.2008 के शासनादेश के निम्नलिखित प्राविधान लागू होंगे (जो लागू न हो उसे काट दें)।

    i. चूंकि परियोजना के पूर्ण करने की अवधि केवल **18 माह (अठारह माह)** है, इसलिए लागत के पुनरीक्षण की अनुमति बिलकुल नही दी जायेगी।

    ii. उपरोक्त पैरा 2 में निर्दिष्ट समय सारणी के अनुसार परियोजना को पूर्ण करने या उसकी प्रगति में विलम्ब की स्थिति में 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती निर्माण एजेन्सी को देय प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज प्रभार) से की जायेगी।

14.1 स्वीकृत प्राक्कलन की सम्पूर्ण धनराशि समयान्तर्गत अवमुक्त नहीं होती है तो, श्रमिक एवं सामग्री की दरों मे बृद्धि होने पर शासन द्वारा स्वीकृत लोक निमाण विभाग / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के दरों के अनुसार निर्माण कार्य पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की धनराशि ग्राहक द्वारा निर्माण एजेन्सी को उपलब्ध कराई जायेगी।

15. भवन/ परियोजना ग्राहक के प्राधिकृत व्यक्ति को सौपी जाएगी। निर्माण एजेन्सी कार्य सौंपने के समय या उसके पहले ग्राहक् को अधिप्रमाणित तथा सम्यक रूप से अनुमोदित विस्तृत आकलन जिसमें पुनरीक्षित आकलन यदि कोई हो, भी शामिल है, समस्त रेखाचित्र डिजाइन, भवन/ परियोजना में प्रदान की गई सेवा के रेखाचित्र उपलब्ध करायेगी।

16. ग्राहक / उक्त कार्यो में अथवा कार्यो पर निर्माण एजेन्सी, के नियोजन में श्रमिक / अन्य व्यक्ति को दुर्घटना अथवा चोट लगने के कारण अथवा निर्माण एजेन्सी, उसके कर्मचारियों अथवा एजेन्ट (एजेंटों) के किसी कार्य, त्रुटि अथवा असावधानी, भूलचूक, गलत निर्णय के कारण हुई हानि, क्षति अथवा प्रतिकर के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित प्रतिकर अथवा क्षति के लिए, जैसा कि संगत विधियों में परिभाषित किया जाए, निर्माण एजेन्सी दायी होगी तथा उसे ग्राहक की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

17. यदि कोई विवाद होता है तो उसे विवाद निवारण समिति द्वारा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे निवारण किया जायेगा :-

1. प्रमुख सचिव / सचिव ग्राहक विभाग
2. विभाग जिसके प्रशासनाधीन निर्माण एजेन्सी है उस विभाग का प्रमुख सचिव/सचिव।
3. वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
4. नियोजन विभाग का प्रतिनिधि।

समिति का निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष को हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई।

उपरोक्त समस्त शर्ते समयान्तर्गत धनराशि की उपलब्धता के अधीन रहेंगी।

ग्राहक के लिए और उसकी ओर से	निर्माण एजेन्सी के लिए और उसकी ओर से
नाम – Principal	नाम – ओम प्रकाश
पदनाम– Govt. Degree College KICHHA (U.S. Nagar) U.K.	पदनाम– परियोजना प्रबन्धक
	सहायक अभियन्ता निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल नि (उधम सिंह नगर)
साक्षी	साक्षी
1. डा० नरेश कुमार, असि० प्रो० अर्थशास्त्र	1. इं0 ए0के0 त्यागी, सहायक अभियन्ता
2. Dr Pushpa Devi Prof - Sociology	2. श्री अर्चित पाठक, यूनिट लेखाकार-